ISO 9001:2015 Certified Institution

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area,Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

क्रमांक:—F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/9160-06 दिनांकः— 31/10/2025

आदेश

नर्सिंग एवं पैरामेडिकल भर्ती 2023 के अन्तर्गत नर्सिंग ऑफिसर भर्ती के आवेदक जिनका अंतिम चयन नही किये जाने के संबंध में संस्थान के आदेश कमांक F.109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/ 6777-82 दिनांक 24.07.2025 के द्वारा संबंधित अभ्यर्थियों को 07 दिवस में चयन नही किये जाने के संबंध में परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु अवसर प्रदान करते हुए निर्देशित किया गया था। इस सम्बन्ध में प्राप्त परिवेदनाओं पर विचार किया जाकर एवं शेष अभ्यर्थियों को अवसर दिए जाने के उपरान्त भी परिवेदना प्रस्तुत करने हेतु इच्छुक नहीं मानते हुए, निम्नलिखित अभ्यर्थियों का उनके नाम के सम्मुख अंकित कारणों से नर्सिंग आफिसर भर्ती 2023 में किया गया अन्तिम चयन तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। निम्नांकित में से यदि किन्ही अभ्यर्थियों के संबंध में माननीय न्यायालय का कोई नवीन निर्देश प्राप्त होता है अथवा पूर्व में जारी कोई निर्देश जो कि संस्थान में वर्तमान में अप्राप्त है, के मद्देनजर ऐसे प्रकरणो में संबंधित अभ्यर्थी (याचिकाकर्ता) के संबंध में यह आदेश प्रभावी नही होंगे —

1	2	3	4	5	6	7
S.No.	Applicant Name	Application ID	Date of Birth	Category	Father's Name	चयन नही किये जाने का कारण
1	ANJANA	NO156631	7/3/1993	OBC-NCL/ --	RAM SINGH	अभ्यर्थिया द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1126 दिवस के जारी 02 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिनके पुर्नसत्यापन के दौरान बिल वाऊचर्स में अभ्यर्थी का नाम अंकित नही है जिससे स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी को उस अवधि के दौरान भुगतान नही किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर—द्वितीय के ने अपने पत्रांक 229, 236 दिनांक 7.2.2025 द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र कमांक 737 दिनांक 30.5.2023 एवं कमांक 824 दिनांक 30.5.2023 को भुगतान का रिकार्ड उपलब्ध नही हो सकने के कारण पुष्टि योग्य नही बताया है। इस प्रकार अभ्यर्थिया को उक्त दोनो अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नही है। अतः अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
2	GOVIND SHARMA	NO186999	1/5/1990	EWS/	OMPRAKASH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अनुभव पुर्नसत्यापन के आधार पर प्रमाणित अभ्यर्थी को दिनांक 19.5.2022 से 30.4.2023 तक 346 दिवस अवधि का अनुभव थर्मल पावर प्रोजेक्ट छबड़ा का है जिसका एमओयू राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है जिसका भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि कार्मिक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नही है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित के नियम 19 में बोनस अंक दिये जाने के संबंध में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के अधीन संचालित चिकित्सालयों की विभिन्न योजनाओं में समरूप कार्य के अनुभव की अवधि के आधार पर अनुभव का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। जिसका स्पष्ट उल्लेख नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती—2023 की विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 में भी किया गया है। साथ ही अभ्यर्थी का अनुभव अन्य संस्थान का होने के कारण जिसका कि भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है, का प्रमाणिकरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाना संभव नही है। प्रमाणिकरण के अभाव में उक्त अनुभव अवधि का बोनस का लाभ देय नही होने से एक अन्य अनुभव अवधि के प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के आधार पर केवल 20 प्रतिशत बोनस अंक ही देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।

3	DURGA LAL DANGI	NO146819	1/2/1995	OBC-NCL/ --	MANOHAR LAL DANGI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के अनुभव पुर्नसत्यापन के आधार पर प्रमाणित अनुभव अनुसार कार्मिक द्वारा निजी जनसहभागिता से संचालित डायलिसिस यूनिट में कार्य किया है। बायोमेड ऐकेडमी (एलएलपी) एवं झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, झालावाड के मध्य हुये एमओयू के अनुसार उक्त संस्थान (बायोमेड ऐकेडमी) से हिमोडायलिसिस यूनिट स्थापित करने व संचालन करने हेतु "रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस" पर ली गई थी जिससे स्पष्ट है कि झालावाड़ मेडिकल कॉलेज, द्वारा उक्त कार्य हेतु किसी प्रकार का भुगतान नही किया गया है बल्कि बायोमेड ऐकेडमी से भुगतान प्राप्त किया गया है। इस प्रकार बायोमेड ऐकेडमी द्वारा हिमोडायलिसिस यूनिट में नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नही माना जा सकता ना ही इनकी सेवायें राज्य सरकार के अधीन किसी एनजीओ के माध्यम से प्रदान किया जाना माना जा सकता है। इस प्रकार रिट याचिका संख्या 3622/2013 मनोहर सिंह बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय इस प्रकरण में लागू नही होता है। नियमानुसार बोनस अंको का लाभ केवल राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्मिको को ही देय है। साथ ही अभ्यर्थी का अनुभव अन्य संस्थान का होने के कारण जिसका कि भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है, का प्रमाणिकरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। डायलिसिस यूनिट में मरीज केवल एक विशिष्ट तकनीकी कार्य के संपादन हेतु भर्ती होता है। अतः डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस टेक्नीशियन संबंधी कार्य का संपादन विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समरूप कार्य का नही होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि डायलिसिस टेक्नीशियन का कार्य पैरामेडिकल कौर्स के तहत् आता है जिनके डिप्लोमा/डिग्री का पंजीयन भी पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा किया जाता है। अतः पाठ्यक्रम के अनुसार भी डायलिसिस टेक्नीशियन जीएनएम/ बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी नर्सिंग ऑफिसर के समान नही है। नीति निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट कार्य संपादन को नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य नहीं माना जा सकता। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नही होने के कारण खारिज कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
4	PUSHPA KUMARI RAWAT	NO200453	5/24/1989	OBC-NCL/ --	CHANDRA SINGH	एसएमएस चिकित्सालय जयपुर द्वारा गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 30.12.2024 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता (Scoliosis, B/L Lower Limb PPRP 49%) भारत सरकार की अधिसूचना दिनांक 7.1.2021 अनुसार Bilateral Lower Limb दिव्यांगता हेतु नर्सिंग ऑफिसर का पद उपयुक्त नहीं होने के कारण पात्रता निरस्त की गई है।
5	BAVEETA KUMARI	NO158641	3/4/1985	SC/	DEEP CHAND	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के अनुभव पुर्नसत्यापन के आधार पर प्रमाणित अनुभव अनुसार कार्मिक द्वारा निजी जनसहभागिता से संचालित डायलिसिस यूनिट में कार्य किया है। सोनी हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड एवं आरएमआरएस जिला चिकित्सालय भरतपुर के मध्य हुये एमओयू के अनुसार

						उक्त संस्थान (सोनी हॉस्पिटल) से हिमोडायलिसिस यूनिट स्थापित करने व संचालन करने हेतु "रेवेन्यू शेयरिंग बेसिस" पर ली गई थी जिससे स्पष्ट है कि आरएमआरएस द्वारा उक्त कार्य हेतु किसी प्रकार का भुगतान नही किया गया है बल्कि सोनी हॉस्पिटल प्राईवेट लिमिटेड से भुगतान प्राप्त किया गया है। इस प्रकार सोनी हॉस्पिटल द्वारा हिमोडायलिसिस यूनिट में नियुक्त कार्मिकों को राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नही माना जा सकता ना ही इनकी सेवायें राज्य सरकार के अधीन किसी एनजीओ के माध्यम से प्रदान किया जाना माना जा सकता है। इस प्रकार रिट याचिका संख्या 3622/2013 मनोहर सिंह बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय इस प्रकरण में लागू नही होता है। नियमानुसार बोनस अंको का लाभ केवल राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्मिको को ही देय है। साथ ही अभ्यर्थी का अनुभव अन्य संस्थान का होने के कारण जिसका कि भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है, का प्रमाणिकरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। डायलिसिस यूनिट में मरीज केवल एक विशिष्ट तकनीकी कार्य के संपादन हेतु भर्ती होता है। अतः डायलिसिस यूनिट में डायलिसिस टेक्नीशियन संबंधी कार्य का संपादन विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समरूप कार्य का नही होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नही है। यह भी उल्लेखनीय है कि डायलिसिस टेक्नीशियन का कार्य पैरामेडिकल कौर्स के तहत् आता है जिनके डिप्लोमा/डिग्री का पंजीयन भी पैरामेडिकल कौंसिल द्वारा किया जाता है। अतः पाठ्यक्रम के अनुसार भी डायलिसिस टेक्नीशियन जीएनएम/ बीएससी नर्सिंग योग्यताधारी नर्सिंग ऑफिसर के समान नही है। नीति निर्धारण समिति द्वारा लिये गये निर्णयानुसार विशिष्ट कार्य संपादन को नर्सिंग ऑफिसर के समान कार्य नहीं माना जा सकता। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नही होने के कारण खारिज कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
6	SARITA KUMARI	NO158104	1/1/1987	OBC-NCL/ --	MAMCHAND	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ अनुभव प्रमाण पत्रांक 316 एवं 309 दिनांक 24.05.2023 प्रस्तुत किया गया। जिनके पुर्नसत्यापन के दौरान पाया गया कि बिल वाऊचर्स में अभ्यर्थी का नाम अंकित नही है जिससे स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी को उस अवधि के दौरान भुगतान नही किया गया। अतः दिनांक 01. 11.2017 से 03.10.2019 तक की अवधि का रिकार्ड उपलब्ध नही हो सकने के कारण मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्रांक 235 दिनांक 07.02.2025 द्वारा अभ्यर्थी हेतु जारी अनुभव प्रमाण पत्र कमांक 309 दिनांक 24.5.2023 को निरस्त कर दिया गया है। जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी द्वारा संलग्न एक अन्य अवधि के अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर अनुभव आधारित केवल 15 बोनस अंकों का लाभ देय है। अतः 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ प्राप्त कुल प्राप्तांक 61.958 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।

7	JITENDRA KUMAR YADAV	NO196159	4/6/1994	OBC-NCL/ --	RAMSHRAN YADAV	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर प्रथम के कमांक 2048 दिनांक 31.5. 2023 द्वारा जारी दिनांक 27.3.2020 से 30.4.2023 तक की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया है। अभ्यर्थी के अनुभव प्रमाण पत्र के पुनर्सत्यापन के अनुसार कुल अनुभव अवधि में 522 दिवस अवैतनिक अवकाश होने के कारण शेष अनुभव अवधि, जिसमें कोविड अवधि सम्मिलित है, के आधार पर केवल 15 बोनस अंक ही देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ प्राप्त कुल प्राप्तांक 61.418 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
8	HEMANT KUMAR JOSHI	NO182094	7/25/1988	OBC-NCL/ --	BABU LAL	अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा दिनांक 14.09.2013 से 30.10.2016 तक कुल एकमुश्त 03 वर्ष 01 माह 17 दिवस का अनुभव जारी किया गया था जिसमें कार्यदिवसों की संख्या 878 अंकित की गई। अतः अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन हेतु अभ्यर्थी का परीणाम रोका गया था। अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन के अनुसार 878 दिवस का अनुभव ही सत्यापित हुआ है जिसकी अवधि दिनांक 14.09.2013 से 31.08.2014 तक 332 दिवस, 01.04.2015 से 31.10.2016 तक 546 दिवस कुल 878 (332+546) दिवस है जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 20 बोनस अंकों का ही लाभ देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर प्राप्तांक 66.410 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
9	MAHESH YADAV	NO189729	7/8/1993	OBC-NCL/ --	NANDA RAM YADAV	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1095 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया था जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 30 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ अंतिम चयन सूची में सम्मिलित करते हुये परिणाम रोका गया था। अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के उपरान्त पाया गया कि अभ्यर्थी ने उक्त अवधि में 959 दिवस का भुगतान प्राप्त किया है। अतः अभ्यर्थी को 959 दिवस का अनुभव सत्यापित होने के कारण 20 प्रतिशत बोनस अंक ही देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 65.945 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
10	KANHAIYA LAL SAINI	NO192397	7/2/1991	OBC-NCL/ --	PRAHLAD SAINI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 416 दिवस एवं 975 दिवस के जारी दो अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है। जिनके पुर्नसत्यापन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्र क्रमांक 1631 दिनांक 27.11.2024 के द्वारा 416 दिवस का अनुभव अवधि को शून्य करने की अभिशंषा की है। शेष 975 दिवस के सत्यापन के आधार पर 20 बोनस अंक प्रदान किये जा चुके हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ प्राप्त कुल प्राप्तांक 65.669 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
11	DURGA SHANKAR PARIHAR	NO194980	12/20/1986	OBC-NCL/ --	TAJA RAM PARIHAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1816 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया गया था। अनुभव प्रमाण पत्रो के पुर्नसत्यापन के दौरान मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर ने अपने पत्रांक 4644 दिनांक 29.05.2025 के द्वारा

ISO 9001:2015 Certified Institution

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area,Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						अनुभव प्रमाण पत्र कमांक 2016 दिनांक 2.6.2023 को निरस्त कर दिया है। फलस्वरूप अभ्यर्थी को बोनस अंको का लाभ देय नही है। इस प्रकार अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कुल प्राप्तांक 45.545 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
12	VEDPRAKASH	NO163227	6/15/1989	OBC-NCL/ --	DINESH CHAND	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय द्वारा दिनांक 13.01.2023 को जारी 324 दिवस का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है जो कि निर्धारित प्रारूप में नहीं है एवं वर्तमान भर्ती हेतु जारी नही है। निर्धारित प्रारूप में इस भर्ती (नर्सिंग भर्ती 2023) हेतु जारी दिशा निर्देशो के अनुरूप अनुभव प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करने के कारण अभ्यर्थी को उक्त अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नही है। निर्धारित प्रारूप में अनुभव प्रमाण पत्र जारी नही होने संबंधी प्रकरणों यथा डीबी याचिका सं. 351/2020 संतोष चौधरी बनाम सरकार एवं 1660/2018 कविता पंवार बनाम सरकार को खारिज किया जा चुका है। शेष अनुभव अवधि के सत्यापन के आधार पर 20 बोनस अंक अभ्यर्थी को प्रदान किये जा चुके हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 64.633 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। अभ्यर्थी का दिनांक 23.07.2025 को अभ्यावेदन अस्वीकार कर निस्तारित किया जा चुका है।
13	VIVEK KUMAR SAINI	NO173105	6/6/1987	OBC-NCL/ --	RAM GOPAL SAINI	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय के पत्रांक 232, 233 दिनांक 7.2.2025 द्वारा अभ्यर्थी हेतु जारी अनुभव प्रमाण पत्र कमांक 818 दिनांक 30.5.2023 एवं कमांक 1357 दिनांक 2.6.2023 में अंकित अनुभव अवधि को पुष्टि योग्य नहीं माना है। अतः अनुभव अवधि का सत्यापन नही किया गया है। जिसके फलस्वरूप अभ्यर्थी को अनुभव आधारित शून्य बोनस अंक ही देय हैं। अतः शून्य बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 44.106 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
14	JITENDRA KUMAR GAUD	NO159126	9/2/1987	EWS/	BHARAT LAL SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर अभ्यर्थी दिनांक 10.10.11 से 3.9.16 तक हैल्थ एडवाइजरी ऑफिसर पद पर कार्यरत है जिसका अनुभव विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समान नहीं होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश दिए है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नही होने के कारण खारिज कर दिया है। अभ्यर्थी को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर द्वारा जारी सीएचए पद के एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर 15 बोनस अंकों का लाभ ही देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 59.093 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं। निदेशालय के आदेश दिनांक 21.7.2025 द्वारा अभ्यर्थी के अभ्यावेदन का निस्तारण किया जा चुका है।
15	VINAY SHARMA	NO195492	7/1/1986	EWS/	BHAWANEE SHANKAR SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1100 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के

4c

ISO 9001:2015 Certified Institution

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area,Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						आधार पर 1077 दिवस का ही भुगतान होना सत्यापित हुआ है। जिसके आधार पर अभ्यर्थी को 20 बोनस अंको का लाभ देय है। इस प्रकार अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
16	LAXMI GUJAR	NO102300	11/14/1982	SC/	AMRIT LAL GUJAR	अभ्यर्थिया को जारी अनुभव प्रमाण पत्रों में 444 दिवस की अवधि माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 15213/2024 में पारित निर्णय दिनांक 5.11.2024 के अनुसार गणना योग्य नहीं है। शेष अनुभव अवधि के आधार पर 15 बोनस देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 58.297 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
17	ARIF MOHAM MAD	NO164503	7/5/1991	OBC-NCL/ - -	SHOKAT ALI	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में एस0आर0जी0 चिकित्सालय झालावाड द्वारा दिनांक 26.5.2023 को जारी अनुभव प्रमाणपत्र जिसमें अनुभव अवधि 1.9.2018 से 20.10.2020 तक एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी झालावाड द्वारा दिनांक 24.5. 2023 को जारी अनुभव प्रमाण पत्र जिसमें अनुभव अवधि दिनांक 1.11.2020 से 4.5.2023 तक है, संलग्न किया है। अभ्यर्थी दिनांक 1.9.18 से 20.10.20 तक पीपीपी मोड पर संचालित सीटी स्केन सेंटर पर कार्यरत है जिसका कार्य विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समान नही होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नही होने के कारण खारिज कर दिया है। शेष अनुभव अवधि के आधार पर 20 बोनस अंक देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 20 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 62.997 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
18	MANEESH GALAV	NO152516	7/21/1984	EWS/	OM PRAKASH GALAV	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, कोटा ने कमांक 3863 दिनांक 9.5.2025 द्वारा अभ्यर्थी की नियुक्ति अन्य पद पर हो जाने के कारण अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन नहीं कराया जाकर इसको निरस्त करने की अनुशंषा की है। फलस्वरूप अभ्यर्थी को बोनस अंक देय नही है। इस प्रकार अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
19	URMILA KUMARI	NO156472	5/15/1980	OBC-NCL/ - -	AMI LAL	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जयपुर द्वितीय द्वारा जारी दिनांक 20.6.2017 से 28.2. 2019 एवं 1.7.2021 से 23.11.2022 तक की अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर द्वितीय ने पत्र कमांक 234 दिनांक 7.2.2025 द्वारा अभ्यर्थी को दिनांक 20.6.2017 से 28.2.2019 तक की अवधि का जारी अनुभव प्रमाण पत्र को पुष्टि योग्य नहीं माना है। अतः अनुभव अवधि का सत्यापन नही किया गया है। अतः दिनांक 1.7. 2021 से दिनांक 23.11.2022 तक के एक अन्य अनुभव प्रमाण पत्र के आधार पर मात्र 15 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 57.205 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।

4

Phone (O) 0141-2701938 Telefax(Dir) : 2706534
www.sihfwrajasthan.comE-mail: sihfwraj@ymail.com

20	PRIYA OJHA	NO170601	11/19/1995	EWS/	KAMLESH OJHA	अभ्यर्थिया को जारी अनुभव प्रमाण पत्रों में 445 दिवस की अवधि माननीय न्यायालय द्वारा रिट याचिका संख्या 15213/2024 में पारित निर्णय दिनांक 5.11.2024 के अनुसार गणना योग्य नहीं है। शेष अनुभव कोविड अवधि के बाद का एवं 01 वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
21	OMPRAKASH GARER	NO167044	1/2/1987	OBC-NCL/ --	RAMESH CHANDRA GARER	अभ्यर्थी को एनजीओ कैनकिड्स किस्कैन फाउन्डेशन में कार्य करने का अनुभव प्राप्त है। एनजीओ कैनकिड्स किस्कैन फाउन्डेशन एवं सवाई मानसिंह चिकित्सालय जयपुर के मध्य हुये एमओयू के अनुसार कैनकिड्स के कार्मिक मात्र एक सपोर्ट टीम के रूप में अस्पताल के चिकित्सको एवं पैरामेडिकल स्टाफ तथा कैनकिड्स के माध्यम से रजिस्टर्ड कैंसर पिड़ित बच्चो हेतु उपलब्ध रहेंगे और कैनकिड्स के कार्मिको से संबंधित किसी भी प्रकार की वित्तीय जिम्मेदारी अस्पताल की नही होगी। इस प्रकार स्पष्ट है कि कैनकिड्स के माध्यम से कार्यरत कार्मिक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नही होकर निजी संस्थान के अधीन कार्यरत कार्मिको की श्रेणी में आते है। नियमानुसार बोनस अंको का लाभ केवल राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्मिको को ही देय है। साथ ही अभ्यर्थी का अनुभव अन्य संस्थान का होने के कारण जिसका कि भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है, का प्रमाणिकरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाना संभव नही है। अतः उक्त सभी कारणो से याचिकाकर्ता उक्त अनुभव अवधि का बोनस का लाभ प्राप्त करने हेतु पात्र (ENTITLED) नही है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन किया जाना संभव नही है।
22	VEENA PAREEK	NO172901	6/23/1998	EWS/	OM PRAKASH PAREEK	अभ्यर्थी को अंतरिम चयन सूची में सहवनवश 15 प्रतिशत बोनस अंक प्रदान कर दिये गये थे जिसका अंतिम चयन सूची जारी होने तक भी अनुभव पुर्नसत्यापन नही होने के कारण यथास्थिति बनाये रखते हुये परिणाम रोका गया था। अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाण प्रमाणपत्र के पुनर्सत्यापन के उपरान्त इनकी अनुभव अवधि 203 दिवस दिनांक 14.10.2022 से 04.05.2023 तक है। नियमानुसार एक वर्ष (365) की सेवा पूर्ण करने पर ही न्यूनतम बोनस अंकों का लाभ देय है। जो एक वर्ष से कम होने के कारण बोनस अंक देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
23	NARENDRA KUMAR MALAV	NO195394	4/4/1985	OBC-NCL/ --	CHHITAR LAL MALAV	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों एवं अनुभव पुर्नसत्यापन के आधार पर प्रमाणित अभ्यर्थी को दिनांक 25.6.2014 से 10.9.2018 तक 1679 दिवस का अनुभव थर्मल पावर प्रोजेक्ट छबड़ा का है जिसका एमओयू राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड द्वारा किया गया है जिसका भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि कार्मिक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नही है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित के नियम 19 में बोनस अंक दिये जाने के संबंध में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के अधीन संचालित चिकित्सालयों की विभिन्न योजनाओं में समरूप कार्य के अनुभव की अवधि के आधार पर अनुभव का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। जिसका स्पष्ट उल्लेख नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती–2023 की विज्ञप्ति

9c

ISO 9001:2015 Certified Institution

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area,Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						दिनांक 05.05.2023 में भी किया गया है। साथ ही अभ्यर्थी का अनुभव अन्य संस्थान का होने के कारण जिसका कि भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है, का प्रमाणिकरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाना संभव नही है। थर्मल पावर प्रोजेक्ट छबड़ा नियम 19 में विनिर्दिष्ट कार्यक्रमों में नहीं है न ही यह विज्ञप्ति की शर्तानुसार चिकित्सा विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थान है। अतः भुगतान का प्रमाणिकरण अनुभव जारीकर्ता अधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। प्रमाणिकरण के अभाव में उक्त अनुभव अवधि का बोनस का लाभ देय नही होने के फलस्वरूप कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
24	NIRBHAY SHEKHAWAT	NO168847	1/4/1989	SC/	KISHOR SHEKHAWAT	अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत अनुभव प्रमाणपत्रों के आधार पर इनके सीएचए पद के अनुभव के 282 दिवस सत्यापन के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय है। दिनांक 13.10.2018 से 31.01.2021 725 दिवस तक का अनुभव एएनएम के कार्य का है जो विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समरूप नही होने के कारण बोनस अंको का लाभ देय नही है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नही होने के कारण खारिज कर दिया है। एक तीसरा अनुभव प्रमाण पत्र मात्र 130 दिवस का है इस प्रकार सत्यापित अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
25	BRIJRAJ MEENA	NO167287	6/19/1993	ST/	RAM BILASH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 698 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण संलग्न किये है जिनके पुर्नसत्यापन के दौरान अभ्यर्थी द्वारा 494 दिवस की अवधि में सेम्पल कलैक्शन का कार्य किया गया है जो कि विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के कार्य के समरूप नहीं होने के कारण नियमानुसार इस अवधि का बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19, जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है, की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। रिट याचिका संख्या 9205/2013 सुरेन्द्र कुमार गुप्ता बनाम राज्य सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.09.2025 एवं डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य एवं कई अन्य रिट याचिकाओं को समान कार्य का अनुभव नही होने के कारण खारिज कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
26	SANGEETA	NO109131	7/6/1998	OBC-NCL/ --	PRAHLAD RAM	अभ्यर्थी का जीएनएम कोर्स मार्च, 2022 में पूर्ण होकर राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल में पंजीयन दिनांक 29.4.2022 को हुआ है। अतः अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जोधपुर द्वारा अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाण पत्र कमांक 242 दिनांक 10.6.2023 जिसमें विज्ञापित पद की निर्धारित योग्यता एएनएम एवं कार्यस्थल उपकेन्द्र उल्लेखित है, को मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जोधपुर ने अपने पत्रांक 4645 दिनांक 29.05.2025 के द्वारा निरस्त कर दिया गया है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव

						आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
27	AMIT MEENA	NO194199	10/10/1994	ST/	RAJARAM MEENA	अभ्यर्थी का राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल में प्रथम बार पंजीयन दिनांक 12.4.2018 को हुआ। अभ्यर्थी को दिनांक 25.6.2019 को उत्तर प्रदेश में पंजीयन हेतु एनओसी जारी की गई । अभ्यर्थी द्वारा पुनः राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल में पंजीयन हेतु आवेदन करने पर आर.एन.सी. द्वारा दिनांक 28.10.2020 को पुनः पंजीयन किया गया। अनुभव अवधि दिनांक 3.6.2020 से 28.10.2020 तक अभ्यर्थी का पंजीयन राजस्थान नर्सिंग काउन्सिल में नहीं होने के कारण शेष 608 दिवस अनुभव अवधि सत्यापन के आधार पर 15 बोनस अंक ही देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 61.856 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
28	SHARVAN KUMAR	NO193242	9/25/1997	MBC-NCL/	MISRA RAM	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर बोनस अंको का लाभ देय नहीं है। नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता है। अतः अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
29	SATYA PRAKASH	NO105467	1/12/1995	SC/	BADRI LAL	अभ्यर्थी 1020 दिवस सीटी स्कैन सेन्टर पर सर्विस आउटसोर्स के आधार पर कार्यरत है जिसका कार्य विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के समान नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नही होने के कारण खारिज कर दिया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
30	LAJWANTI JEENGAR	NO163031	7/22/1991	SC/	DWARAKA PRASAD JEENGAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में प्रस्तुत किये गये अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव अवधि 15.02.2021 से 31.03.2022 अंकित होने के आधार पर 15 बोनस अंक दिये गये थे जो कि अभ्यर्थिया द्वारा जानबूझकर तथ्यो को छुपाकर संभवतया यह सोचकर प्रस्तुत किया जाना प्रतीत होता है कि इस प्रकार का त्रुटिपूर्ण अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थिया के इस भर्ती के चयन में सहायक सिद्व होगा। रिट याचिका संख्या 19677/2022 लालाराम बनाम सरकार में माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अनुसार अनुभव प्रमाण पत्र की Veracity की जॉच का निदेशक, राज्य स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण संस्थान, जयपुर (respondent no. 2) को अधिकार होगा। अतः उक्त अनुभव अवधि के प्रमाण पत्र का पुर्नसत्यापन करवाये जाने के उपरान्त अभ्यर्थी का अनुभव

						सीएचए पद का 15.02.2022 से 31.03.2022 तक कोविड अवधि के अतिरिक्त होने एवं 01 वर्ष से कम पाया गया। जिसका बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
31	SEEMA SHARMA	NO193149	7/10/1985	EWS/	GANPAT LAL SHARMA	अभ्यर्थी ने ऑनलाईन आवेदन में दिनांक 1.7.2010 से 30.9.2016 एवं 4.8.2021 से 31.3.2022 तक की अनुभव अवधि के प्रमाण पत्र संलग्न किये है। अभ्यर्थी द्वारा दिनांक 1.7.2010 से 30.9.2016 तक टीकाकरण का कार्य किया होना सत्यापित हुआ है जो कि विज्ञापित पद (नर्सिंग ऑफिसर) के कार्य के समरूप नही होने के कारण नियमानुसार बोनस अंको का लाभ देय नही है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनिवाल बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19, जिसका संबंध समान कार्य के अनुभव से है, की सख्ती से पालना के निर्देश दिये हैं। शेष अनुभव अवधि के आधार पर 15 बोनस अंक देय है। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 59.647 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
32	ANITA REGAR	NO106062	6/22/1992	SC/	HARI RAM REGAR	अभ्यर्थिया को संस्थान के आदेश क्रमांक 4014-18 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा अनारक्षित वर्ग से आवेदन किया गया है। अभ्यर्थी द्वारा परिवेदना प्रस्तुत किये जाने पर इन्हे अनुसूचित जाति वर्ग में दस्तावेज सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थिया के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी मध्यप्रदेश की मूल निवासी है एवं जाति प्रमाण पत्र पति के नाम से प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः अभ्यर्थिया राजस्थान राज्य की मूल निवासी नही होने के कारण जातिगत आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप सामान्य श्रेणी की कटऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
33	HEMLATA SHARMA	NO161693	4/4/1994	EWS/	POORAN MAL SHARMA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन में दिनांक 29.3.2022 से 30.4.2023 तक की अनुभव अवधि का अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थी की नियुक्ति मिशन निदेशक एनएचएम के आदेश कमांक 841 दिनांक 27.3.2022 के कम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अलवर के अधीन हुई। उक्त के अतिरिक्त मिशन निदेशक एनएचएम के आदेश कमांक 803 दिनांक 10.5.2021 से संबंधित कोई अनुभव प्रमाण पत्र अभ्यर्थी द्वारा संलग्न नहीं किया गया ना ही आवेदन पत्र में इस अवधि का उल्लेख है। अतः नीति निर्धारण समिति की बैठक दिनांक 23.07.2024 में लिये गये निर्णय के अनुसार नियुक्ति आदेश दिनांक 10.05.2021 के माध्यंम से चयनित सी.एच.ओ. कार्मिकों एवं दिनांक 22.03.2020 से 13.02.2022 के दौरान नियुक्त ऐसे सीएचओ अभ्यर्थी जिन्होंने ब्रिज कोर्स नहीं किया हुआ था एवं कोविड परिस्थितियों के दृष्टिगत नर्सिंग ऑफिसर के समान वेतनमान 7900 रूपये प्रतिमाह पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के अधीन सेवायें सौंपी गई, को ही समान कार्य के आधार पर बोनस अंकों का लाभ नियमानुसार दिया जा सकता था। जिसका अभ्यर्थी द्वारा

						अनुभव प्रमाण पत्र ऑनलाईन आवेदन में संलग्न नहीं किया। अतः इस अवधि का अभ्यर्थी को बोनस अंकों का लाभ नहीं दिया गया। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
34	DEEP CHAND MEENA	NO121354	9/9/1991	ST/	SULTAN SINGH MEENA	राज्य सरकार एवं निम्स यूनिवर्सिटी के मध्य एमओयू हुआ था। निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा ट्रोमा सेन्टर पर अपने स्तर से चयन कर नर्सिंग स्टाफ लगाया गया था एवं जिसका भुगतान भी निम्स यूनिवर्सिटी द्वारा ही किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि कार्मिक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नही है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित के नियम 19 में बोनस अंक दिये जाने के संबंध में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के अधीन संचालित चिकित्सालयों की विभिन्न योजनाओं में समरूप कार्य के अनुभव की अवधि के आधार पर अनुभव का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। जिसका स्पष्ट उल्लेख नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती–2023 की विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 में भी किया गया है। साथ ही अभ्यर्थी का अनुभव अन्य संस्थान का होने के कारण जिसका कि भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है, का प्रमाणिकरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाना संभव नही है। निम्स यूनिवर्सिटी विज्ञप्ति की शर्तानुसार चिकित्सा विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थान नहीं है। अतः भुगतान का प्रमाणिकरण अनुभव जारीकर्ता अधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। प्रमाणिकरण के अभाव में उक्त अनुभव अवधि का बोनस का लाभ देय नही होने के फलस्वरूप कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
35	BUDDHI PRAKASH MEENA	NO147115	10/3/1994	ST/	SHANWAL RAM MEENA	अभ्यर्थी ने दिनांक 1.8.2016 से 31.3.2018 तक बायोकोन फाउण्डेशन के तहत कार्य किया है। बायोकोन फाउण्डेशन एवं विभाग के मध्य हुये एमओयू के अनुसार संविदाकर्मियों को भुगतान बायोकोन फाउण्डेशन द्वारा ही किया जाना था। उक्त से स्पष्ट है कि कार्मिक राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नही है। राजस्थान चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधीनस्थ सेवा नियम 1965 यथा संशोधित के नियम 19 में बोनस अंक दिये जाने के संबंध में उपलब्ध प्रावधानों के अन्तर्गत विभाग के अधीन संचालित चिकित्सालयों की विभिन्न योजनाओं में समरूप कार्य के अनुभव की अवधि के आधार पर अनुभव का लाभ दिये जाने का प्रावधान है। जिसका स्पष्ट उल्लेख नर्सिंग ऑफिसर सीधी भर्ती–2023 की विज्ञप्ति दिनांक 05.05.2023 में भी किया गया है। साथ ही अभ्यर्थी का अनुभव अन्य संस्थान का होने के कारण जिसका कि भुगतान भी अन्य संस्थान द्वारा ही किया गया है, का प्रमाणिकरण विभाग द्वारा अधिकृत अधिकारियों द्वारा किया जाना संभव नही है। बायोकोन फाउण्डेशन विज्ञप्ति की शर्तानुसार चिकित्सा विभाग के अधीन चिकित्सा संस्थान नहीं है। अतः भुगतान का प्रमाणिकरण अनुभव जारीकर्ता अधिकृत अधिकारी द्वारा नहीं किया गया है। इस प्रकार भुगतान प्रमाणिकरण के अभाव में बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। शेष अनुभव के आधार पर 15 प्रतिशत बोनस अंक देय हैं। फलस्वरूप अनुभव आधारित 15 प्रतिशत बोनस अंकों के आधार पर कुल प्राप्तांक 59.150 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
36	CHANDRIKA KUMARI	NO196289	7/26/1997	ST/	BANSHI LAL	एक अन्य आई.डी. NO208349 पर अभ्यर्थी का पूर्व में ही चयन हो जाने के कारण इस आई.डी. को निरस्त किया गया है।

AL

ISO 9001:2015 Certified Institution

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area,Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

	MEENA				MEENA	
37	REKHA PAREEK	NO201879	7/5/1981	EWS/	MALI RAM PAREEK	अभ्यर्थी के प्रार्थना पत्र दिनांक 30.5.2025 के आधार पर पीएमओ जमवारामगढ़ जयपुर ने पत्रांक 309 दिनांक 30.05.2025 के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र कमांक 173 दिनांक 16.5.2023 को निरस्त किया है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
38	SAMPAT KUMARI RAIDAS	NO201318	4/26/1991	SC/	MANNA LAL	एक अन्य आईडी NO168790 पर अभ्यर्थी का पूर्व में ही चयन हो जाने के कारण इस आई.डी. को निरस्त किया गया है।
39	DEEPAK KUMAR	NO132448	11/22/1994	Gen (UNRESERVED) /	OMPRAKASH	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 03.12.2024 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता स्कोलिओसिस 20 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
40	SHAHZAD	NO103595	7/4/1991	EWS/	MOHD TASLEEM	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 03.12.2024 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता काइफोस्कोलियोसिस 20 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
41	RUKHSANA	NO135492	3/4/1983	OBC-NCL/ --	ABDUL SALIM	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 03.12.2024 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता स्कोलिओसिस 29 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
42	BHAVARI DEVI DHABHAI	NO148170	12/12/1977	MBC-NCL/	NATHU LAL DHABHAI	अभ्यर्थिया को संस्थान के आदेश क्रमांक 4014–18 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थिया ने दिनांक 25.3.2013, 18.2.16, 24.8.2018 एवं 13.3.2019 को जारी अन्य पिछड़ा वर्ग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो आवेदन की तिथि से तीन वर्ष से अधिक पुराना होने के कारण मान्य नहीं है एवं दिनांक 02.12.2022 का जारी एमबीसी सीएल का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। एक अन्य प्रमाण पत्र दिनांक 18.12.2024 आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद का होने के कारण स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया विज्ञप्ति की शर्तानुसार आवेदन के समय एमबीसी एनसीएल वर्ग में पात्र नहीं थी। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रही हैं। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में अभ्यर्थिया का अभ्यावेदन दिनांक 12.06.2025 को अस्वीकार कर निस्तारित किया जा चुका है।
43	VADI HASUMATI BEN	NO144638	6/2/1993	SC/	AKHMABHAI	अभ्यर्थिया को संस्थान के आदेश क्रमांक 4014–18 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थिया विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी गुजरात राज्य की मूल निवासी है। मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र भी पति के नाम से जारी किए गए प्रस्तुत किये हैं। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 .उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से जारी मूल निवास प्रामणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः अनुसूचित जातिवर्ग के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहीं हैं।
44	BHATERI	NO172293	5/8/1991	EWS/	MUNSHI RAM	अभ्यर्थिया को संस्थान के आदेश क्रमांक 4014–18 दिनांक 06.05.2025 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया

ISO 9001:2015 Certified Institution

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area,Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						गया था। अभ्यर्थिया के विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी हरियाणा राज्य की मूल निवासी है। ईडब्लूएस प्रमाण पत्र भी पति के नाम से प्रस्तुत किया गया है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रामणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः ईडब्लूएस श्रेणी के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहीं हैं।
45	MANISHA DEVI	NO163614	10/20/1993	EWS/	SADHU RAM	अभ्यर्थिया को संस्थान के आदेश क्रमांक 4014–18 दिनांक 06.05. 2025 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 8.5.2025 को उपस्थित होकर पिता के नाम से जारी मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जारी मूल निवास प्रामणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः ईडब्लूएस का लाभ देय नहीं है। अतः आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहीं हैं।
46	NEETU	NO145662	11/2/1999	SC/	UDAY SINGH	अभ्यर्थिया को संस्थान के आदेश क्रमांक 4014–18 दिनांक 06.05. 2025 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थिया द्वारा दिनांक 8.5.2025 को उपस्थित होकर प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र उपखण्ड अधिकारी वैर भरतपुर द्वारा जारी किया गया है। जो पिता एवं पति के नाम से जारी है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी जारी मूल निवास प्रामणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः अनुसूचित जाति का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहीं हैं।
47	KALA KUMARI GAYARI	NO196495	10/13/1991	MBC-NCL/ --	PRABHU LAL GAYARI	अभ्यर्थिया को संस्थान के आदेश क्रमांक 4014–18 दिनांक 06.05. 2025 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थिया ने दिनांक 9.6.2014 एवं 16.7.2018 को जारी अन्य पिछडा वर्ग का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो भर्ती वर्ष 2023 में तीन वर्ष से अधिक पुराना है। अतः नियमानुसार नॉन–क्रिमीलेयर वर्ग के प्रमाण स्वरूप मान्य नहीं है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन के साथ 30.1.2023 का जारी एम.बी.सी. क्रीमीलेयर का प्रमाणपत्र संलग्न किया है। एक अन्य प्रमाण पत्र दिनांक 23.12.2024 को जारी है जो आवेदन की अन्तिम तिथि के बाद का होने से स्पष्ट है कि अभ्यर्थिया विज्ञप्ति की शर्तानुसार आवेदन के समय एमबीसी एनसीएल वर्ग में पात्र नहीं थी। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहीं हैं। माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के क्रम में अभ्यर्थिया का अभ्यावेदन दिनांक 17.06.2025 को अस्वीकार कर निस्तारित किया जा चुका है।
48	BARIA SHARMIS HTHA BEN	NO137999	6/2/1985	ST/	MANGAL BHAI	अभ्यर्थिया को संस्थान के आदेश क्रमांक 4014–18 दिनांक 06.05. 2025 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी द्वारा विशेष मूल निवास एवं जाति प्रमाण पत्र पिता के नाम से राजस्थान राज्य का जारी प्रस्तुत नहीं किया

Phone (O) 0141-2701938 Telefax(Dir) : 2706534
www.sihfwrajasthan.comE-mail: sihfwraj@ymail.com

ISO 9001:2015 Certified Institution

State Institute of Health & Family Welfare

Jhalana Institutional Area,Near Doordarshan Kendra, Jaipur-302004

						गया है। अपितु गुजरात राज्य से जारी जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। अतः अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहीं हैं। माननीय न्यायालय द्वारा अभ्यथिया द्वारा दायर याचिका को निर्णय दिनांक 23.09.2025 के द्वारा खारिज किया जा चुका है।
49	MUKESH KUMARI	NO207719	2/7/1986	EWS/	BHOOP SINGH	अभ्यर्थिया को संस्थान के आदेश क्रमांक 4014–18 दिनांक 06.05. 2025 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। विवाह पंजीयन प्रमाण पत्र एवं ईडब्लूएस प्रमाण पत्र के अनुसार अभ्यर्थी हरियाणा राज्य की निवासी है। अभ्यर्थी ने मूल निवास प्रमाण पत्र भी पति के नाम से प्रस्तुत किया है। माननीय न्यायालय ने रिट याचिका संख्या 240/2020 उर्मिला बनाम राज्य सरकार में पारित निर्णय में केवल पिता के नाम से राजस्थान राज्य के सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मूल निवास प्रमाणपत्र को ही मूल निवासी होने का आधार माना है। अतः ईडब्लूएस श्रेणी का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहीं हैं।
50	NAMEETA MAAN	NO173958	6/30/1989	OBC-NCL/ --	KESHU RAM MAAN	अभ्यर्थिया को संस्थान के आदेश क्रमांक 4014–18 दिनांक 06.05. 2025 के द्वारा जाति प्रमाण पत्र के सत्यापन हेतु आमंत्रित किया गया था। अभ्यर्थी ने दिनांक 8.9.2025 को उपस्थित होकर उपखण्ड अधिकारी तारानगर चूरू द्वारा दिनांक 8.7.2021 एवं 24. 12.2024 को जारी अन्य पिछडा वर्ग का जाति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जो नॉन क्रीमीलेयर वर्ग का है। किन्तु अभ्यर्थी ने दस्तावेज सत्यापन के समय दिनांक 9.6.2023 को जारी ओबीसी क्रीमीलेयर का प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है। जिससे स्पष्ट है कि विज्ञप्ति की शर्तानुसार आवेदन के समय ओबीसी एनसीएल वर्ग में पात्र नही थी। अतः कार्मिक विभाग की अधिसूचना दिनांक 17. 10.22 के अनुसार ओबीसी नॉन क्रीमीलेयर वर्ग का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप समान्य श्रेणी की कटऑफ से कम प्राप्तांक होने के कारण चयन से वंचित रहीं हैं।
51	RAVINDRA PAL SINGH	NO142021	11/3/1987	OBC-NCL/ --	RAMCHARAN SINGH	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1150 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिन्हे अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के दौरान प्राप्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्र कमांक 2873, 2874 दिनांक 11.6. 2025 के अनुसार अभ्यर्थी को विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और ना ही इसका भविष्य में भुगतान किया जायेगा, की सूचना से अवगत कराया गया। इस प्रकार पूर्ण अनुभव अवधि का सत्यापन नही होने के कारण अनुभव अवधि शून्य हो जाने से बोनस अंक देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
52	LOVEKUSH MEENA	NO164702	5/15/1993	ST/	DUADYA MEENA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्र के पुर्नसत्यापन से स्पष्ट होता है कि अभ्यर्थी ने मेडिकेयर हैल्थ एण्ड सोशल वैलफेयर सोसायटी के तहत्मात्र नसबन्दी कैम्प अयोजन हेतु एनजीओकर्मी के रूप में कार्य किया है जो कि परिवार कल्याण के अन्तर्गत नसबंदी सेवायें सरकारी संस्थानों में क्षतिपूर्ति राशि के आधार पर प्रदान कराते है। इस प्रकार स्पष्ट है कि अभ्यर्थी राज्य सरकार के अधीन कार्यरत नही रहा है। नियमानुसार बोनस अंको का लाभ केवल राज्य सरकार के अधीन कार्यरत कार्मिको को ही देय है। अभ्यर्थी द्वारा संपादित कार्य राज्य सरकार के अधीन नियमों में उल्लेखित कार्यक्रमों/योजना

ar

						में कार्य किया हुआ नहीं होने के कारण बोनस अंको का लाभ देय नही है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
53	UDAY SINGH HARSANA	NO184731	7/1/1991	MBC-NCL/	RAMNIVAS HARSANA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1100 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किया है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ संलग्न अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के आधार पर 1077 दिवस का ही भुगतान होना सत्यापित हुआ है। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन प्रस्तुत अनुभव प्रमाण पत्रों के पुनर्सत्यापन के आधार पर इनकी अनुभव अवधि 1066 दिवस सत्यापित होने के कारण मात्र 20 प्रतिशत बोनस अंकों का लाभ देय है। फलस्वरूप 20 प्रतिशत बोनस अंकों के साथ कुल प्राप्तांक 60.738 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
54	RITURAJ RAO	NO191584	6/28/1996	OBC-NCL/ --	KAILASH CHAND RAO	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 731 दिवस के जारी 03 अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये गये थे। चित्तौड़गढ़ ने अपने पत्रांक 30021 दिनांक 09.06.2025 के द्वारा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों को पूर्णत कूटरचित बताते हुये अभ्यर्थी का 14 दिवस का जारी अनुभव प्रमाण पत्र बीसीएमओ बेंगू द्वारा निरस्त किये जाने की सूचना से अवगत कराया है। फलस्वरूप उक्त अनुभव प्रमाण पत्र की अवधि का बोनस देय नही होने के कारण अभ्यर्थी को अन्य 02 अनुभव प्रमाण पत्रों के आधार पर मात्र 15 बोनस अंकों का लाभ प्रदान किया गया है। इस प्रकार अनुभव आधारित 15 बोनस अंकों के साथ अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
55	RAJESH	NO183023	7/15/1992	OBC-NCL/ --	MAHENDRA SINGH	अभ्यर्थी द्वारा स्वयं का प्रार्थना प्रस्तुत कर आवेदन निरस्त कराये जाने बाबत् निवेदन किया है और अनुभव का पुर्नसत्यापन नहीं करवाना चाहा है साथ मु0चि0 एवं स्वा0 अधिकारी, भरतपुर के पत्रांक 1685 दिनांक 7.5.2025 के द्वारा अनुभव प्रमाण पत्र निरस्त किये जाने की अनुशंषा की है। अतः बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है।
56	SANJU RANWA	NO135957	6/17/1998	OBC-NCL/ --	DANA RAM	अभ्यर्थिया को जारी अनुभव प्रमाणपत्र सत्यापित नहीं होने के कारण अभ्यर्थिया को बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रही हैं।
57	SANDEEP KUMAR	NO157866	10/15/1990	OBC-NCL/ --	RAM KUMAR	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्र कमांक 2869 दिनांक 11.6.2025 के द्वारा अवगत कराया है कि दिनांक 1.7.2018 से 30.4.2020 तक की अवधि का अभ्यर्थी को विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और ना ही भविष्य में किया जायेगा। इस प्रकार भुगतान के अभाव में अनुभव अवधि का सत्यापन नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। अभ्यर्थी को एक अन्य अनुभव अवधि के पुर्नसत्यापन के आधार पर 20 प्रतिशत बोनस अंको के साथ अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत उनके जातिवर्ग में चयनित अंतिम अभ्यर्थी के कुल प्राप्तांक प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
58	SUNIL KUMAR DAHIA	NO143138	12/6/1993	SC/	MANGERAM DAHIA	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1149 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिन्हे अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के दौरान प्राप्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्र कमांक 2872, 2875 दिनांक 11.6. 2025 के अनुसार अभ्यर्थी को विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया

						गया है और ना ही इसका भविष्य में भुगतान किया जायेगा, की सूचना से अवगत कराया गया। इस प्रकार पूर्ण अनुभव अवधि का सत्यापन नही होने के कारण अनुभव अवधि शून्य हो जाने से बोनस अंक देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
59	NEETU KUMARI	NO141387	5/23/1988	OBC-NCL/ --	RAJESH KUMAR	अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाईन आवेदन के साथ 1149 दिवस के जारी अनुभव प्रमाण पत्र संलग्न किये है जिन्हे अनुभव प्रमाण पत्रों के पुर्नसत्यापन के दौरान प्राप्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जयपुर प्रथम के पत्र कमांक 2870, 2871 दिनांक 11.6. 2025 के अनुसार अभ्यर्थी को विभाग द्वारा भुगतान नहीं किया गया है और ना ही इसका भविष्य में भुगतान किया जायेगा, की सूचना से अवगत कराया गया। इस प्रकार पूर्ण अनुभव अवधि का सत्यापन नही होने के कारण अनुभव अवधि शून्य हो जाने से बोनस अंक देय नहीं है। फलस्वरूप अनुभव आधारित बोनस अंकों के अभाव में कट ऑफ प्रतिशत से कम अंक रहने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
60	HIMMAT KATARA	NO105860	1/31/1991	ST/	LACHI RAM KATARA	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु एसएमएस चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 11.06.2025 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता एम्पुटेशन 6 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।
61	RITESH GOCHER	NO100467	MALE	MBC-NCL/	NAND GOPAL GOCHER	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोटा द्वारा अभ्यर्थी को जारी अनुभव प्रमाण पत्र कमांक 3411 दिनांक 19.5.2023 के अनुसार अभ्यर्थी को नर्सिंगकर्मियों के सहयोगकर्ता के पद पर लगाया गया था। जिसका कार्य नर्सिंगकर्मी के समान नहीं होने के कारण बोनस अंकों का लाभ देय नहीं है। रिट याचिका संख्या 14080/2023 राजेन्द्र कुमार बेनीवाल बनाम सरकार में माननीय न्यायालय ने भर्ती नियम 1965 के नियम 19 की सख्ती से पालना के निर्देश किया है जिसका संबंध समान कार्य से है। डी.बी. याचिका संख्या 26/2023 सुखाराम बनाम सरकार व अन्य को समान कार्य का अनुभव नही होने के कारण खारिज कर दिया है। अभ्यर्थी को एक अन्य सीएचए पद के अनुभव के आधार पर 15 बोनस अंक देय है। फलस्वरूप 61.349 प्रतिशत बनते है जो उनके जातिवर्ग के कट ऑफ प्रतिशत से कम होने के कारण चयन से वंचित रहे हैं।
62	GUDDU KANWAR	NO116385	1/2/1998	EWS/	PARVAT SINGH	अधीक्षक, कांवटिया चिकित्सालय, जयपुर के पत्रांक 1524 दिनांक 20.03.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता परीक्षण हेतु अवसर दिए जाने पर उपस्थित नही हुई है। अतः अनुपस्थित रहने के कारण नीति निर्धारण समिति की बैठक में दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता निरस्त किये जाने बाबत् पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुरूप के अनुरूप पात्रता निरस्त की जाती है।
63	MANDAS KATARA	NO146785	5/12/1987	ST/	BHAGWATI LAL KATARA	अभ्यर्थी एक अन्य आई डी 147109 पर दिव्यांगता परीक्षण में अपात्र है। अतः अभ्यर्थी का इस आई डी पर भी तदनुरूप चयन निरस्त किया गया है।
64	SURESH KUMAR YADAV	NO183365	5/18/1988	OBC-NCL/ ---	SHRI BHAGWAN SAHAY	अधीक्षक, रूकमणी देवी बेनी प्रसाद, जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर के पत्रांक 1857 दिनांक 18.09.2025 के द्वारा अवगत कराया गया है कि अभ्यर्थी द्वारा मेडिकल बोर्ड के समक्ष दिव्यांगता परीक्षण हेतु अवसर दिए जाने पर उपस्थित नही हुआ

						है। अतः एक अतिरिक्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी अनुपस्थित रहने के कारण नीति निर्धारण समिति की बैठक में दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुपस्थित रहने वाले अभ्यर्थियों की पात्रता निरस्त किये जाने बाबत् पूर्व में लिये गये निर्णय के अनुरूप के अनुरूप पात्रता निरस्त की जाती है।
65	ROSHNI	NO210409	4/30/1991	OBC-NCL/ --	GANGA RAM	अभ्यर्थी ने दिव्यांगजन श्रेणी में आवेदन किया है। दिव्यांगजन अभ्यर्थियों हेतु जयपुरिया चिकित्सालय, जयपुर में गठित मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट दिनांक 17.09.2025 के अनुसार अभ्यर्थी की दिव्यांगता वन लेग 25 प्रतिशत है। अतः अभ्यर्थी को विशेष योग्यजन श्रेणी का लाभ देय नहीं है।

निदेशक

क्रमांकः—F-109(7)/SIHFW/MH-Recruit/Nur.off/2023/ 9100-06

दिनांकः— 31/10/2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः—

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान जयपुर।
3. संयुक्त शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप—3) विभाग, राजस्थान जयपुर।
4. निदेशक (अराजपत्रित), चिकित्सा एवंस्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर प्रेषित कर लेख है कि प्रकरण में कैवियट दायर करवाने हेतु आवश्यक कार्यवाही किये जाने बाबत् सम्बंधित को निर्देशित करवाये जाने का श्रम करवाये।
5. प्रभारी सर्वर रुम को वैबसाईट पर प्रकाशन हेतु।
6. निजी / रक्षित पत्रावली।

निदेशक